

## हदि दविस 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत ने 14 सतिंबर, 2024 को हदि दविस मनाया, जो हदि भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने की 75वीं वर्षगाँठ का प्रतीक है।

- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने हदि के आधिकारिक भाषा के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- 14 सतिंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हदि को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी।
- मुंशी -अयंगर फारमूले, के.एम. मुंशी और एन. गोपालसवामी अयंगर के बीच एक समझौता, के परिणामस्वरूप **संविधान के अनुच्छेद 343** के तहत हदि को देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, जबकि अंगरेज़ी को पंद्रह वर्षों तक आधिकारिक उद्देश्यों के लिये जारी रखने की अनुमति दी गई।
  - जैसे ही 15 वर्ष की अवधि समाप्त हुई, हदि भाषा अपनाए जाने के भय से वरिध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित हुआ, जिसके तहत हदि के साथ-साथ अंगरेज़ी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- हदि से संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 210 के तहत वधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा राज्य की राजभाषा, हदि या अंगरेज़ी हो सकती है।
  - अनुच्छेद 351: यह हदि भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मशिरति संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
- हदि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है और यह शास्त्रीय भाषा नहीं है।
  - इस भाषा का नाम फारसी शब्द 'हदि' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'सधि नदी की भूमि' और यह संस्कृत की वंशज है।

और पढ़ें.... [वशिव हदि दविस](#)